संख्या— 145 / बीस—4 / 2017—1(उ0रा0आ0) / 2016

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 6241 30-03-17

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

OC/JA

गृह अनुभाग—4

देहरादून : दिनांक 17 मार्च, 2017

विषय— उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में।

DC 23-3-17

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—777 / XX(4)35 / उ0आ0 / 2006—08, दिनांक 22.10.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें राज्य आन्दोलन के दौरान घायल राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु 05 आधार निर्धारित किए गए हैं। उक्त आदेश में अन्य आधारों के अतिरिक्त राज्य आन्दोलन के दौरान किसी आन्दोलनकारी की घायल होने पर चिकित्सालय सम्बन्धी रिपोर्ट के आधार पर भी चिन्हीकरण का प्राविधान है।

शासनादेश के प्रस्तर—2 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु पांच **निर्धारित आधार से सम्बन्धित समस्त शासकीय अभिलेखों की समुचित पुष्टि के उपरान्त ही चिन्हीकरण किये जाने के प्राविधान** का उल्लेख किया गया है।

2— कतिपय जनपदों से कुछ प्रकरणों में निजी चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर घायल राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में शासन से स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 22.10.2008 में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये जाने के बारे में प्रस्तर—2 में स्पष्ट उल्लेख है। कृपया राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये जाने के सम्बन्ध में तद्नुसार लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने का कष्ट करें।

संलग्नक:— यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा
सं0 71 / XX-JA / 2017 दिनांक 31/3/2017
समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट
जनपद अल्मोड़ा
कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

Cnm-2

प्रेषक,

संख्या–[illegible]/XX(4)36/उ0 आ0/2006–08

एन0 एस0 नपलच्याल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– मण्डलायुक्त, कुमॉयू/गढ़वाल,
उत्तराखण्ड।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4

देहरादून: दिनांक 22 अक्टूबर 2006

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर पहचान पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर पहचान पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण निम्नलिखित अभिलेखों के आधार पर की जाय:–

(क) एल0आई0यू0 की रिपोर्ट।
(ख) पुलिस के अन्य अभिलेख यथा डेली डायरी के प्रासंगिक अंश,
(ग) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) जिस रूप में भी दर्ज हो,
(घ) चिकित्सालय सम्बंधी रिपोर्ट,
(च) ऐसे अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचनाऐं जिनकी प्रमाणिकता जिलाधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाए।

2– उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण हेतु उक्त समस्त शासकीय अभिलेखों की समुचित पुष्टि करने के उपरान्त ही समस्त जिलाधिकारियों एवं उनके द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार चिन्हित आन्दोलनकारियों को पहचान पत्र निर्गत किये जाय, इन पहचान पत्रों के आधार पर वे राजकीय कार्यालयों में प्रवेश तथा अधिकारियों से मिलने हेतु अर्ह होंगे।

3– चिन्हित आन्दोलनकारियों को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले समारोहों में आमंत्रित किया जाय।

4– जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद के राज्य आन्दोलनकारियों से संबंधित सूचनाऐं राज्य आन्दोलनकारी सम्मान परिषद को उपलब्ध करायी जाय।

5– राज्य आन्दोलन के इतिहास को संकलित, संरक्षित एवं स्मारक स्थलों की भलि भांति रख–रखाव हेतु संस्कृति विभाग को अधिकृत किया जाता है।

6– अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(एन.एस. नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

o/c

संख्या–152/बीस–4/2017–9(उ0रा0आ0)/2016

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 03 जनवरी, 2017

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–777/XX(4)26/उ0आ0/206–08, दिनांक 22.10.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु 05 मानक निर्धारित किये गये थे। तदोपरान्त शासनादेश संख्या–1401/बीस–4/2015–3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015 के द्वारा 5 मानकों में से अन्तिम मानक–च, जो निम्नानुसार है, को विलोपित किया गया है :–

*(च) ऐसे अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचनायें जिनकी प्रमाणिकता जिलाधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाए।*

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व शासनादेश दिनांक 22.10.2008 के प्रस्तर–1(च) में निर्धारित उक्त व्यवस्था "ऐसे अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचनायें जिनकी प्रमाणिकता जिलाधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाए" को निम्न प्रतिबन्ध के साथ पुनः लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

*"जिलाधिकारी द्वारा पुष्ट अभिलेखों के आधार पर ही राज्य आन्दोलनकारियों का चिन्हीकरण किया जायेगा।"*

3– अतः अनुरोध है कि उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये ही उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण की कार्यवाही सम्पादित करने का कष्ट करें।

(डा0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

(26)

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या–1279/बीस–4/2016–3(10)/2014
देहरादून : दिनांक 13 दिसम्बर 2016

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 3546 दिनांक 29-12-16

कार्यालय ज्ञाप

G/JA

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2093/बीस–4/2012–3(26)/2006 टी0सी0 II, दिनांक 18–12–2013 द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अन्तिम तिथि का विस्तार दिनांक 31–03–2014 तक किया गया था।

DC
7-12-16

2– सम्यक् विचारोपरान्त आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण एवं इस हेतु लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अन्तिम तिथि का विस्तार दिनांक 30–04–2017 तक निर्धारित किया जाता है।

3– चिन्हीकरण एवं लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु अन्तिम तिथि में भविष्य में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी तथा समस्त जिलाधिकारियों द्वारा दिनांक 30–04–2017 तक सभी पूर्व में प्राप्त लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

(डा0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1279/बीस–4/2016–3(10)/2014, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, ई0सी0 रोड, देहरादून को उत्तराखण्ड में प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. मीडिया सेन्टर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा
सं0 46(1)/ [illegible] 2016 दिनांक दिसम्बर 30, 2016
समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट
जनपद अल्मोड़ा
कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(35)

संख्या– 3-2 / बीस–4 / 2016–3(1) / 2009

प्रेषक,
डॉ० उमाकान्त पंवार, 07 JUN 2016
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 01 जून, 2016

विषय–चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन की अधिसूचना संख्या–823 / XX(4)–01 / उ0आ0 / 2009–1–(1), दिनांक 05–11–2009 के द्वारा उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली पेंशन को विनियमित करने सम्बन्धी नियमावली, 2009 का प्रख्यापन करते हुये राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन जेल गये अथवा राज्य आन्दोलन के दौरान घायल आन्दोलनकारी, जो कि शासनादेश संख्या 1269 / तीस–2 / 2004, दिनांक 11–08–2004 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अर्ह थे, लेकिन किसी कारणवश सेवायोजित नहीं हो पाये हों, हेतु रू0 3000 / – प्रतिमाह की दर से उनके जीवन काल के लिये पेंशन अनुमन्य की गयी है, जिसे शासनादेश संख्या–555 / बीस–4 / 2013–3(1) / 2009, दिनांक 25–03–2013 द्वारा बढ़ाकर रू0 5000 / – प्रतिमाह किया गया है।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त समस्त ऐसे चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को, जिन्हें अभी तक आन्दोलनकारी पेंशन अथवा किसी अन्य राजकीय स्रोत से पेंशन अनुमन्य नहीं है अथवा वे राजकीय सेवा में सेवायोजित नहीं है, रू0 3100 / – प्रतिमाह की दर से उनके जीवन काल के लिये पेंशन अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से तत्काल शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 53NP / XXVII(5) / 16–17, दिनांक 01 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– / बीस–4 / 2016–3(1) / 2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड वैभव, सी–1 / 105, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

संख्या–392 / बीस–4 / 2016–3(26) / 2006

प्रेषक,

02 MAY 2016

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय ... संख्या 7994 दिनांक 02-05-16

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 25 अप्रैल, 2016

विषय–उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1401 / बीस–4 / 2015–3(26) / 2006, दिनांक 25–02–2015 में टंकण त्रुटियों का संशोधन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1401 / बीस–4 / 2015–3(26) / 2006, दिनांक 25.02.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या–777 / XX–4 / 26 / उ0आ0 / 2006 / 08, दिनांक 20.10.2008 में उल्लिखित प्रस्तर–1(च), जो निम्नानुसार है, को विलोपित किया गया है :–

"ऐसे अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचना सूचनायें जिनकी प्रमाणिकता जिलाधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाय"

2– इस सम्बन्ध में विषयगत शासनादेश संख्या–1401 / बीस–4 / 2015–3(26) / 2006, दिनांक 25–02–2015 में कतिपय टंकण त्रुटियों के समाधान हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में उल्लिखित शासनादेश संख्या–1781 / XX–4 / 26 / उ0आ0 / 2006 / 09, दिनांक 28.02.2009 के स्थान पर शासनादेश संख्या–178–2 / XX(4) / 26 / उ0आ0 / 06 / 09, दिनांक 28.02.2009 एवं शासनादेश संख्या–177 / XX(4) / 26 / उ0आ0 / 2006 / 08, दिनांक 20.10.2008 के स्थान पर शासनादेश संख्या–777 / XX–4 / 26 / उ0आ0 / 2006 / 08, दिनांक 20.10.2008 पढ़ा जाय।

3– शासनादेश संख्या–1401 / बीस–4 / 2015–3(26) / 2006, दिनांक 25.02.2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

संख्या 218 –बीस (4)/2011–3 (3)/2011

47

महावीर सिंह चौहान,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा 19.02.2011
संख्या 6220

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

देहरादून: दिनांक: 25 जनवरी, 2011

गृह अनुभाग–4

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0– 11132, 480, 2364, 2696/बीस–47/2007–09 दिनांक 24.9.2010, 14.10.2010, 18.12.2010 एवं 30.12.2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री बीरेन्द्र बजेठा पुत्र श्री हर्ष सिंह डढौली, श्री खष्टी बल्लभ पाण्डेय पुत्र श्री गोविन्द बल्लभ पाण्डेय, एवं श्री पूरन चन्द तिवारी पुत्र श्री गौरी दत्त तिवारी को पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करें कि उक्त सभी आन्दोलनकारी उत्तराखण्ड आन्दोलन में प्रतिभाग करने के कारण ही जेल में निरुद्ध रहे अथवा किसी अन्य अभियोगों में एवं इनके जेल में रहने की तिथि पुलिस अभिरक्षा की तिथि से है अथवा जेल में निरुद्ध रहने की तिथि से साथ ही श्री रमेश सिंह पुत्र रतन सिंह को अभी तक सेवायोजित क्यों नहीं किया गया? के सम्बन्ध में स्पष्ट करते हुए सूचना उपलब्ध करायें।

उक्त के अतिरिक्त, यह भी अवगत कराना है आपके पत्र संख्या–2364/बीस–47/2007–08 दिनांक 18.12.2010 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि 06 लोगों को गलत सूचनाओं के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गयी है। अतः कृपया गलत लोगों को स्वीकृत की गयी पेंशन को निरस्त करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

# उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को दिये जाने वाले पेंशन को विनियमित करने सम्बन्धी नियमावली–2009

1–(1) इस नियमावली का नाम "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों प्रदत्त पेंशन तथा अनुदान नियमावली 2009" कहलायेगी।

(2) यह नियमावली प्रख्यापित किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषायें

2–(1) इस नियमों में जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

(2) इस नियमावली के निमित्त "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी" का तात्पर्य ऐसे राज्य आन्दोलनकारियों से है जिसने पृथक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में भाग लिया हो और जो शासनादेश संख्या–1269/तीस–2/2004 दिनांक–11 अगस्त, 2004 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अर्ह थे, लेकिन जो किसी कारण वश सेवायोजित नहीं हो पाये।

स्पष्टीकरण:– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार दिया जायेगा:–

1. राज्य आन्दोलन के दौरान ऐसे आन्दोलनकारी जो शासनादेश संख्या– 1269/तीस–2/2004 दिनांक–11 अगस्त, 2004 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अर्ह थे, लेकिन जो किसी कारणवश सेवायोजित नहीं हो पाये को पेंशन अनुमन्य हेतु मात्र होगें।

2. पात्र उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को रू0 3000/– (रूपये तीन हजार) प्रतिमाह की दर से पेंशन उनके जीवन काल के लिये स्वीकृत किया जायेगा।

3. ऐसे उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, को कार्य के मूल दावें प्रस्तुत करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उस पर संस्तुति/प्रतिहस्ताक्षर करने के बाद उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनकी पत्नी अथवा विधवा को दॉत लगवाने, चश्मा बनवाने तथा श्रवण यंत्र कय करने के लिए अधिकतम रू0 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) का अनुदान जीवन में एक बार स्वीकृत किया जायेगा ।

4. पेंशन हेतु धनराशि का भुगतान पेंशन हेतु बनाये गये कारपस फंड से वहन किया जायेगा।

5. "राज्य आन्दोलनकारी को दिये जाने वाली पेंशन" का तात्पर्य रुपये 3000 (रुपये तीन हजार मात्र प्रतिमाह) की ऐसी धनराशि से है जो किसी राज्य आन्दोलनकारी को इन नियमों के अधीन स्वीकृत किया जाय।

पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया तथा अधिकार

3—(1) इन नियमों के अधीन कोई पेंशन या अनुदान जिलाधिकारी की संस्तुति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) अनुदान राशि के आहरण एवं भुगतान हेतु महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून के प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, और इसका भुगतान सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक सत्यापन द्वारा सीधे ही कर दिया जाऐगा।

(3) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के उपरान्त यदि उसकी पेंशन की कोई धनराशि भुगतान करना अवशेष रह जाय तो भुगतान सामान्य विधि के अनुसार उत्तराधिकारी को कर दिया जाये। पेंशन पा रहें आन्दोलनकारी की मृत्यु के दिनांक को पेंशन समाप्त हो जायेगी।

राज्य आन्दोलनकारी पेंशन बन्द करना।

जो व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी पेंशन अथवा अनुदान प्राप्त कर रहे हो अथवा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र या कोई स्वयं प्रमाण–पत्र दिया, हो जो गलत पाया जाय तो स्वीकृत पेंशन अथवा अनुदान किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकेगी तथा पेंशन के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में वापस प्राप्त कर ली जायेगी।

सुभाष कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या–823 / XX(4)-01/उ0आ0/2009 एवं दिनांक–05.11.2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निदेश के साथ की उक्त की 100 प्रतियां गृह अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
9. वित्त अनुभाग–7
10. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,
(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

महत्वपूर्ण/मा0 मंत्रिमण्डल निर्णय
संख्या-1766 बीस-4/2014-3(09)/2014

(42) 12

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 2515 दिनांक 20/12/14

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2014

विषय— साठ वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों को आन्दोलनकारी पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मंत्रिमण्डल की सम्पन्न बैठक दिनांक: 10-11-2014 में मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

**"साठ वर्ष से अधिक के चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन के दायरे में रखे जाने के सम्बन्ध में यथाप्रकिया अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।"**

2— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिमण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

1— अपने जनपद के चिन्हित राज्य आन्दोलनकारी, जिनकी आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो, के नाम, जन्मतिथि/60 वर्ष आयु पूर्ण होने की तिथि, वर्तमान एवं स्थायी पता एवं इस आशय का प्रमाण पत्र कि सम्बन्धित व्यक्ति को सरकारी अथवा अन्य स्रोत से अन्य कोई पेंशन प्राप्त हो रही है अथवा नहीं आदि विवरण।

2— 60 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के आन्दोलनकारी को वर्तमान दर रू0 5000/- प्रतिमाह पर पेंशन स्वीकृत करने की दशा में आने वाला वार्षिक वित्तीय व्यय भार।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रभारी सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या–1703 बीस–4/2014–3(10)/2014

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक: 5-12-2014

गृह अनुभाग–4

विषय– एक शिक्षण संस्थान का नाम शहीद आन्दोलनकारी के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मंत्रिमण्डल की सम्पन्न बैठक दिनांक: 10–11–2014 में मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

शहीद के जनपदों में अथवा उनके विकास खण्ड में कम से कम एक–एक शिक्षण संस्थान का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाय।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिमण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन करते हुये जनपद के अन्तर्गत शहीदों के विकास खण्ड में एक–एक शिक्षण संस्था का नाम शहीदों के नाम पर रखे जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

(139)

महत्वपूर्ण (40)

संख्या–1704/बीस–4/2014–3(10)/2014

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 5-12-2014

विषय– राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु पूर्व में गठित चिन्हीकरण समितियों को भंग करते हुये नई समितियां गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मंत्रिमण्डल की सम्पन्न बैठक दिनांक: 10–11–2014 में मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:–

राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु पूर्व में गठित चिन्हीकरण समितियों को भंग करते हुये नई समितियां गठित की जाय। उक्त समितियां मानकों के पुनरीक्षण, नये चिन्हीकरण, पुरानी लम्बित शिकायतों/अपीलों का निस्तारण एवं जांच करके चिन्हीकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करेंगी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिमण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

महत्वपूर्ण/मा0 मंत्रिमण्डल निर्णय
संख्या-170 बीस-4/2014-3(10)/2014

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग-4 — देहरादून: दिनांक: 5-12-2014

विषय— शहीद आन्दोलनकारियों के ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मंत्रिमण्डल की सम्पन्न बैठक दिनांक 10-11-2014 में मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा शहीद आन्दोलनकारियों के ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिया गया है:—

शहीद आन्दोलनकारियों के ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाय। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि वे शहीद आन्दोलनकारियों के ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं का मूल्यांकन कर उक्त ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जाने का रोडमैप तैयार करते हुये ग्रामों की सूची, आगणन सहित शासन को शीघ्र उपलब्ध करायें। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त ग्रामों हेतु अगले वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में टोकन मनी के रूप में धनराशि प्राविधानित कर ली जाय। शहीद आन्दोलनकारियों के ग्रामों को विकास के एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाय, जहां पर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएँ यथासम्भव संचालित हों।

2— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रिमण्डल के उक्त निर्णय के अनुपालन में उक्तानुसार शहीद आन्दोलनकारियों के ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जाने हेतु ग्रामों की सूची तथा आगणन सहित प्रस्ताव यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

संख्या–९५५/बीस–4/2014–3(03)/2011

37

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 9720 दिनांक 15/7/14

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

15 JUL 2014

गृह अनुभाग–4, देहरादूनः दिनांकः 9 जुलाई, 2014

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4661/बीस–25/2013–14, दिनांकः 20–05–2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–572/xx(4)–01/उ0आ0/2009, दिनांकः 12–08–2009 व शासनादेश संख्या–555/बीस–4/ 2013–3(1)/2009, दिनांकः 25–03–2013 एवं उत्तराखण्ड के राज्य के आन्दोलनकारियों को दी जाने वाली पेंशन को विनियमित किये जाने सम्बन्धी नियमावली–2009 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री कमला रावत पत्नी श्री प्रेम रावत, निवासी रणथमल, पो0–देवीखाल, तहसील–सल्ट, अल्मोड़ा को रू0 5000/– प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत किये जाने का सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

3– उपरोक्त पेंशन प्राप्तकर्ता को पेंशन दिये जाने हेतु सुसंगत समस्त अभिलेखों की नियमानुसार जांच करने के उपरान्त योग्य पाये जाने पर ही पेंशन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– पेंशन का भुगतान अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235–कल्याण योजनायें–07–राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कारपस फण्ड की स्थापना–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से किया जायेगा।

5– राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ कारपस फण्ड से पेंशन आहरित करने हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

9.7.2014

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

संख्या– /बीस–4/2014–3(03)/2011, तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– सम्बन्धित आन्दोलनकारी द्वारा जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
उप सचिव।

Regd | Speed Post
38

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्रॉकः डीजी–छः–124/09 (कारपस फण्ड) दिनॉकः सितम्बर 9 , 2014

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोडा ।

OC/JA

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन धनराशि भेजने के सम्बन्ध में।

15/09/14

कृपया उपरोक्त विषयक जनपद अल्मोडा के 17 राज्य आन्दोलनकारियों की माह जुलाई– 2014 से अक्टूबर– 2014 चार माहों की पेंशन रू0 5000– प्रतिमाह प्रति आन्दोलनकारी के हिसाब से धनराशि रू0 3,40,000– एवं शासनादेश संख्याः 944/बीस–4/2014–3(03)/2011 दि0 9 जुलाई 2014 द्वारा चिन्हित राज्य आन्दोलनकारी श्रीमती कमला रावत पत्नी श्री प्रेम रावत निवासी रणथमल, पो0– देवीखाल, तहसील– सल्ट, अल्मोडा की शासनादेश की तिथि से माह अक्टूबर–2014 तक की पेंशन धनराशि रू0 18,710– कुल धनराशि रू0 3,58,710–(रू0 तीन लाख अट्ठावन हजार सात सौ दस मात्र) डी0डी0 संख्याः 976829 दि0 06–09–2014 के माध्यम से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि सम्बन्धित आन्दोलनकारियों को तदनुसार पेंशन की धनराशि का भुगतान करते हुए भुगतान/प्राप्ति रसीद शीघ्र इस मुख्यालय को वापस भिजवाने की कृपा करें ।

कृपया प्राप्ति रसीद अवश्य भिजवाने की कृपा करें, महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा इस मुख्यालय के आडिट के दौरान प्राप्ति रसीद प्राप्त न होने पर आपत्ति अंकित की गयी है।

संलग्नः– डी0डी0 संख्याः 976829 दि0 06–09–2014 रू0 3,58,710–

9.IX-2014.

पुलिस उपाधीक्षक(एम)./बजट,
कृते पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय,
पुलिस मुख्यालय,उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

andolankari

36

उत्तराखण्ड शासन
गृह विभाग
संख्या–886/बीस–4/2014–3(26)/2006 टी0सी0 II
देहरादून: दिनांक: 25 जून, 2014

कार्यालय जिला अधिकारी
संख्या 2991 दिनांक

**कार्यालय ज्ञाप**

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु लम्बित आवेदन–पत्रों के निस्तारण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–2093/बीस–4/2012–3(26)/2006 टी0सी0, दिनांक 18–12–2013 के द्वारा अन्तिम तिथि का विस्तार दिनांक 31–03–2014 तक किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2– शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण की अन्तिम तिथि का विस्तार दिनांक 30.08.2014 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण की अन्तिम तिथि में भविष्य में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी तथा समस्त जिलाधिकारियों द्वारा दिनांक 30.08.2014 तक सभी लम्बित आवेदन पत्रों का अन्तिम रूप से निस्तारण सुनिश्चित करते हुये सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

संख्या–886/बीस–4/2014–3(26)/2006 टी0सी0 II, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– अपर सचिव, भाषा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– निदेशक, सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग, ई0सी0 रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय ज्ञाप को उत्तराखण्ड से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
7– मीडिया सेण्टर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(आर0आर0 सिंह),
उप सचिव।

DC
01-7-14

संख्या– /बीस–4/2013–3(26)/2006 टी0सी0–II

प्रेषक,

विकम सिंह यादव,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 2107 दिनांक 11/12/13

08/JA गृह अनुभाग–4, देहरादूनः दिनांकः 05 दिसम्बर, 2013.

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु समयसीमा बढ़ाने के सम्बन्ध में।

09-12-13 महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–60/उ0रा0आ0/2013, दिनांकः 25–10–2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि 31–03–2013 के पश्चात आगे तिथि बढ़ाये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है। कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विकम सिंह यादव)
अनु सचिव।

संख्या–1830 (1)/बीस–4/2013–3(26)/2006 टी0सी0–II, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर को उनके पत्र संख्या–639/बीस–न्याय सहा0/2013, दिनांकः 27–06–2013 के सन्दर्भ में।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार को उनके पत्र संख्या–1543/न्याय अनु0–2012–14, दिनांकः 12–08–2013 के सन्दर्भ में।
3. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को उनके पत्र संख्या–07/18–04 (2003–04), दिनांकः 01–10–2013 के सन्दर्भ में।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी/चमोली/टिहरी/नैनीताल/अल्मोड़ा/चम्पावत/बागेश्वर, उत्तरकाशी/पिथौरागढ़।

आज्ञा से,

(विकम सिंह यादव)
अनु सचिव।

# आदेश

उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–4 से प्राप्त शासनादेश संख्या 312 बीस–4–19 /उ0आ0/ 2005 दिनांक 25 मई 2010 में नीहित प्राविधानों के अर्न्तग उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण, उनको अनुमन्य सुविधाओं एवं उन विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सलाहक समीति का गठन निम्नवत् किया जाता है:–

1. पुलिस अधीक्षक,–सदस्य।
2. समस्त उप जिला अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा–सदस्य।
3. श्री श्याम सिंह नेगी पुत्र गमाल सिंह ग्राम मुनड़ा(कुमियाचौड़ा) तहसील सल्ट,उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी –सदस्य।
4. श्री जगत सिंह विष्ट पुत्र स्व0 नैनसिंह बिष्ट निवासी शिखर होटल मालरोड अल्मोड़ तहसील अल्मोड़ा,उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी –सदस्य।
5. श्री कैलाश चन्द्र फुलारा पुत्र स्व0 श्री प्रेमबल्लभ फुलारा तहसील द्वाराहाट,उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी –सदस्य।
6. श्री पूरन चन्द्र पुत्र हंसादत्त तहसील भनोली,उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी –सदस्य।
7. श्री मदन सिंह कठायत पुत्र गोधनसिंह ग्रारम हउँली पो0 चौनलिया तहसील भिकियासैण,उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी –सदस्य।
8. श्री पूरन सिंह डंगवाल पुत्र श्री डोलसिंह ग्राम सांगीनी तल्ल सगनेटी,तहसील रानीखेत,उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी –सदस्य।
9. श्री परमानन्द काण्डपाल,पुत्र श्री अम्बादत्त काण्डपाल तहसील चौखुटिया,उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी –सदस्य।
10. श्री जीवन सिंह पुत्र जैंत सिंह ग्राम मल्ला भटयूड़ा तहसील जैंती उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी –सदस्य।
11. श्री हरीश भाकुनी पुत्र श्री गुसॉई सिंह भाकुनी तहसील सोमेश्वर,उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी–सदस्य।
12. श्री दीवान सिंह पुत्र दलीप सिंह,ग्राम गिरचौला,तहसील अल्मोड़ा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी–सदस्य।

(हस्ताक्षर) 16/7/10

(सुबर्द्धन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या 861 /बीस-45 /2009–2010 दिनांक जुलाई 16, 2010

प्रतिलिपि निम्नॉकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– पुलिस अधीक्षक, अल्मोड़ा।
2– समस्त उप जिला अधिकारी जनपद अल्मोड़ा।
3– उपरोक्त समस्त राज्य आन्दोलनकारी जनपद अल्मोड़ा।

(हस्ताक्षर) 16/7/10

(सुबर्द्धन)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

वर्ष 2009-10
विभाग बीस
पत्रावली 45
पंजिका संख्या 1192
दिनांक 16/7/2010

33

अनुस्मारक

संख्या– 305/बीस–4/2012–3(26)/2006 टी0सी0

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

3674 27.2.13

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4, देहरादून दिनांक: 13 फरवरी, 2013

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–2555/बीस–4/2012–3(26)/2006 टी0सी0–2, दिनांक 03.12.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कार्यालय ज्ञाप के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अंतिम तिथि 31.12.2012 तथा पूर्व से लम्बित आवेदन पत्रों एवं नये प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के निस्तारण की अंतिम तिथि 31.03.2013 निर्धारित की गयी है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.12.2012 के क्रम में अभी तक की गयी कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से तत्काल शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

13/2/13

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या-2965/XX(4)-3(26)/2006

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 प्रमुख सचिव/सचिव
परिवहन/बैसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा।
2 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः 13 दिसम्बर 2011

गृह अनुभाग-4

विषय- उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को निःशुल्क परिवहन सुविधा एवं उनके दो बच्चो को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जायेगी।
2- राज्य आन्दोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चो को राज्य के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्रदान की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या- /XX(4)-3(26)/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
5- महानिदेशक शिक्षा, देहरादून।
5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6- वित्त अनुभाग-5।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय जिला अधिकारी देहरादून
संख्या 3736/बीस-जे0ए0/2012 दि0 2/11/2012

संख्या– 637/XX(4)-26/उ0 आ0/2006/09

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 13513 दिनांक 18.08.10

गृह अनुभाग–4

देहरादून: दिनांक: 13 अगस्त 2010

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004 दिनांक–11.8.2004, एवं गृह अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–776/XX(4)-26/उ0आ0/2006 दिनांक 22.10.2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा राज्य आन्दोलन के दौरान सात दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5 प्रतिशत अधिमान दिये जाने तथा 10 अगस्त, 2011 तक के लिये उनको 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी थी।

2– अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गृह अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–777/XX(4)-26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22.10.2008 के अनुसार चिन्हित सभी राज्य आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की परिधि में लाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शासनादेशों में वर्णित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग
संख्या: 686/XXX(2)/2010
दिनांक: देहरादून: 20 मई, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजित करने के उद्देश्य से इस विषय पर विद्यमान समस्त आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों की सेवायोजन नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम — 1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों की सेवायोजन नियमावली, 2010 है।

नियमावली का लागू होना — 2. यह नियमावली राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त कार्यालयों में समूह 'ग' तथा समूह 'घ' के पदों पर सीधी भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव — 3. यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषाएं — 4. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से सम्बन्धित सेवा नियमावली में किसी ऐसी श्रेणी अथवा श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में जिस पर यह नियमावली लागू होती है, में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "आन्दोलनकारी" से उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारी अभिप्रेत है;

(ग) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

5. (1) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/ सात दिवस अथवा उससे अधिक अवधि के लिए जेल गये आन्दोलनकारियों को, जिसकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित रूप से कर ली गयी हो, को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्तियां प्रदान की जायेंगी।

(2) जिलाधिकारी जिलान्तर्गत विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों को चिन्हित करने के पश्चात आन्दोलनकारियों की शैक्षिक योग्यता के अनुसार उन्हें सूचीबद्ध करते हुए उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में समस्त अभिलेख संस्तुति सहित नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

6. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में घायल हुए आन्दोलनकारियों/ जेल गये आन्दोलनकारियों को समस्त संगत सेवा नियमावलियों में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया तथा अधिकतम आयु सीमा को एक बार के लिए शिथिल किया जाता है।

व्यावृत्ति 7. इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व अर्थात दिनांक 11 अगस्त 2004 के पश्चात राज्य आन्दोलनकारियों का किया गया सेवायोजन इस नियमावली के अधीन किया गया सेवायोजन समझा जायेगा।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या–300/XX(4) 01/उ0आ0/2009

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

गृह अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 14 मई, 2010

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–572/ XX(4)–01/उ0आ0/ 2009 दिनांक–12.8.2009 एवं उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को दिये जाने वाली पेंशन को विनियमित किये जाने सम्बन्धी नियमावली–2009 में निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए, श्री महेश परिहार पुत्र श्री चतुर सिंह परिहार, सरकार की आली, अल्मोड़ा को रू0–3,000/– प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत किये जाने का सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन प्राप्त कर्ता को पेंशन दिये जाने हेतु सुसंगत समस्त अभिलेखों की जांच करने के उपरान्त भुगतान सुनिश्चित किया जाय। पेंशन का भुगतान अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2235– कल्याण योजनाऐं–07–राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याण के पेशन की सुविधा हेतु कारपस फंड की स्थापना–20 सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता से किया जायेगा।

3– राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ कारपस फंड से पेंशन आहरित करने हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:–

प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

FROM: HOME CONTROL [illegible] TO: [illegible] P.1

संख्या-312/XX(4)-19/उ0आ0/2005

9363 28/05/10

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून: दिनांक 25 मई, 2010

गृह अनुभाग-4

विषय— उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण, अनुमन्य सुविधाओं एवं समस्याओं के समाधान हेतु सलाहकार समिति का गठन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक जनपद में राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण, उनको अनुमन्य सुविधाओं एवं उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का स[म]यक [उ]परान्त गठन किया गया है। सलाहकार समिति में जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सम्बन्धित तहसीलों के परगना अधिकारियों के साथ-साथ अधि[क]तम 10 ख्याति प्राप्त आन्दोलनकारियों को भी सदस्य के रूप में जिलाधिकारियों द्वारा नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर समिति गठित किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन [illegible] अवगत कराने का कष्ट [करें।]

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त परगना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6. अध्यक्ष राज्य निर्माण आन्दोलनकारी सम्मान परिषद, 1-सी लक्ष्मी रोड, देहरादून।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

संख्या– 913/XX(4) 01/उ0आ0/2009

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

गृह अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 02 दिसम्बर,2009

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–572/ XX(4)–01/उ0आ0/2009 दिनांक–12.8.2009 एवं उत्तराखण्ड के राज्य आन्दोलनकारियों को दिये जाने वाली पेंशन को विनियमित किये जाने सम्बन्धी नियमावली–2009 में निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए संलग्न सूची में उल्लिखित आन्दोलनकारियों को रू0–3,000/– प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत किये जाने का सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेंशन प्राप्त कर्ता को पेंशन दिये जाने हेतु सुसंगत समस्त अभिलेखों की जांच करने के उपरान्त भुगतान सुनिश्चित किया जाय। पेंशन का भुगतान अनुदान संख्या–15 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 2235– कल्याण योजनाऐं–07–राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याण के पेशन की सुविधा हेतु कारपस फंड की स्थापना–20 सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता से किया जायेगा।

3– प्रत्येक जिलाधिकारी राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ कारपस फंड से पेंशन आहरित करने हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को प्रेषित करेंगे।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:–

प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

ापद अल्मोड़ा के पेंशन हेतु पात्र आन्दोलनकारी।

1 श्री ब्रह्मानन्द डालाकोटी पुत्र श्री जीवानन्द डालाकोटी, नगरखान, अल्मोड़ा।
2 श्री एल.डी. शर्मा, पुत्र श्री चन्द्र दत्त, पेटसाल, अल्मोडा।
3 श्री दौलत सिह पुत्र श्री गुसाई सिंह, कुन्ज बर्गल, अल्मोड़ा।
4 श्री दीवान सिह धपोला पुत्र श्री त्रिलोक सिंह धपोला, लोवर माल रोड, अल्मोड़ा।
5 भुवन चन्द्र भट्ट पुत्र श्री सतीश चन्द्र भट्ट, वमन तिलारी लखनपुर, अल्मोड़ा
6 श्री ललित मेहरा पुत्र श्री विशन सिह, बाड़ेछीना, लखनपुर, अल्मोडा।
7 श्री दुर्गादत्त भट्ट पुत्र श्री गंगादत्त भट्ट, वमनतिलारी, बाड़ेछीना, अल्मोडा।
8 श्री पूरन सिह डंगवाल पुत्र श्री डौल सिंह, संगिनी तल्ला, रानीखेत, अल्मोडा
9 श्री देवी दत्त भट्ट पुत्र श्री दुर्गादत्त भट्ट, जागेश्वर, भनौली, अल्मोडा।
10 श्री मोहन चन्द्र तिवारी पुत्र श्री भवानी दत्त, दूनागिरी, पट्टी कैडारी, द्वाराहाट, अल्मोडा
11 श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री प्रेम बल्लभ बिठोली, दौरा, द्वाराहाट, अल्मोडा
12 श्री चन्दन नेगी पुत्र श्री नारायण सिह नेगी, मल्ली मिरई, द्वाराहाट, अल्मोडा।
13 श्री मदन सिंह कठायत पुत्र श्री गोधन सिंह,सिनौड़ा, भिकियासैण अल्मोड़ा।
14 श्री पूरन चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री भैरवदत्त काण्डपाल, गनाई, चौखुटिया, अल्मोड़ा।
15 श्री बसंत सिह खत्री पुत्र श्री टिका सिह बजेला, भनोली, अल्मोड़ा।
16 श्री मोहन सिंह भैसोड़ा पुत्र श्री विशन सिंह, चमतोली, भनोली, अल्मोडा
17 श्री अमीर्नुरहमान पुत्र श्री अनिर्सुरहमान, नियाजगंज, अल्मोड़ा।

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

23

<u>जनपद अल्मोड़ा के घायल आन्दोलनकारी</u>

1 श्रीमती कमला जोशी पत्नी स्व0 हेम चन्द्र जोशी, निवासी ढुंगाधरा अल्मोड़ा

2 श्री जीवन चन्द्र पुत्र स्व0 रघुवर दत्त निवासी दुगालखोला, अल्मोड़ा।

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

उत्तराखण्ड

# आन्दोलनकारियों को दिये जाने वाले पेंशन को मेत करने सम्बन्धी नियमावली–2009

1–(1) इस नियमावली का नाम "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों प्रदत्त पेंशन तथा अनुदान नियमावली 2009" कहलायेगी।

(2) यह नियमावली प्रख्यापित किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी।

परिभाषायें

2–(1) इस नियमों में जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

(2) इस नियमावली के निमित्त "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी" का तात्पर्य ऐसे राज्य आन्दोलनकारियों से है जिसने पृथक उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन में भाग लिया हो और जो शासनादेश संख्या–1269/तीस–2/2004 दिनांक–11 अगस्त, 2004 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अर्ह थे, लेकिन जो किसी कारण वश सेवायोजित नहीं हो पाये।

स्पष्टीकरण:– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन निम्नलिखित प्राविधानों के अनुसार दिया जायेगा:–

1. राज्य आन्दोलन के दौरान ऐसे आन्दोलनकारी जो शासनादेश संख्या– 1269/तीस–2/2004 दिनांक–11 अगस्त, 2004 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अर्ह थे, लेकिन जो किसी कारणवश सेवायोजित नहीं हो पाये को पेंशन अनुमन्य हेतु पात्र होगें।

2. पात्र उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को रू0 3000/– (रूपये तीन हजार) प्रतिमाह की दर से पेंशन उनके जीवन काल के लिये स्वीकृत किया जायेगा।

3. ऐसे उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, को कार्य के मूल दावें प्रस्तुत करने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उस पर संस्तुति/प्रतिहस्ताक्षर करने के बाद उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनकी पत्नी अथवा विधवा को दॉत लगवाने, चश्मा बनवाने तथा श्रवण यंत्र क्रय करने के लिए अधिकतम रू0 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) का अनुदान जीवन में एक बार स्वीकृत किया जायेगा ।

4. पेंशन हेतु धनराशि का भुगतान पेंशन हेतु बनाये गये कारपस फंड से वहन किया जायेगा।

5. "राज्य आन्दोलनकारी को दिये जाने वाली पेंशन" का तात्पर्य रुपये 3000 (रुपये तीन हजार मात्र प्रतिमाह) की ऐसी धनराशि से है जो किसी राज्य आन्दोलनकारी को इन नियमों के अधीन स्वीकृत किया जाय।

स्वीकृत की प्रक्रिया एवं प्राधिकार

3--(1) इन नियमों के अधीन कोई पेंशन या अनुदान जिलाधिकारी की संस्तुति पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) अनुदान राशि के आहरण एवं भुगतान हेतु महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून के प्राधिकार–पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और इसका भुगतान सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक सत्यापन द्वारा सीधे ही कर दिया जाऐगा।

(3) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के उपरान्त यदि उसकी पेंशन की कोई धनराशि भुगतान करना अवशेष रह जाय तो भुगतान सामान्य विधि के अनुसार उत्तराधिकारी को कर दिया जाये। पेंशन पा रहें आन्दोलनकारी की मृत्यु के दिनांक को पेंशन समाप्त हो जायेगी।

राज्य आन्दोलनकारी पेंशन बन्द करना

जो व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी पेंशन अथवा अनुदान प्राप्त कर रहे हो अथवा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र या कोई स्वयं प्रमाण–पत्र दिया, हो जो गलत पाया जाय तो स्वीकृत पेंशन अथवा अनुदान किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकेगी तथा पेंशन के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में वापस प्राप्त कर ली जायेगी।

सुभाष कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्याः–823 / XX(4)-01 / उ0आ0 / 2009 एवं दिनांक–05-11-2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस निदेश के साथ की उक्त की 100 प्रतियां गृह अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
9. वित्त अनुभाग–7
10. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

Principal Secretary Home
उत्तराखण्ड शासन,
Government of Uttarakhand
4, सुभाष मार्ग, देहरादून
4, Subhash Marg, Dehradun
Phone (Off) 0135-2712070
Fax : 0135-2712005

उत्तराखण्ड शासन

संख्या 323 / प्र.स. / गृह / 2009
दिनांक : 30 जुलाई, 2009

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड

गृह विभाग के शासनादेश संख्या 178-ए/XX(4)-26/उ.आ./2006-08 दिनांक 28.2.2009 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु आधार वर्ष 1979 मानते हुए चिन्हीकरण कर अंतिम रूप दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। मेरे पत्र संख्या 311 / प्र.स.मु.म. / 2009 दिनांक 22 जून 2009 द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये थे और चिन्हीकरण को दिनांक 5 जुलाई 2009 तक पूरा करने के निर्देश दिये गये थे। जनपदों से प्राप्त संकलित सूचना संलग्नक में इंगित है। पूर्व में यह भी निर्देश दिये गये थे कि निर्धारित समय तक जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हुए है, उनकी जांच दिन प्रतिदिन के आधार पर कर चिन्हीकरण के कार्य को दिनांक 5 जुलाइ 2009 तक पूरा करें परन्तु कई जनपदों ने जो टिप्पणी अंकित की है उसमें अधिकांश जिलाधिकारियों द्वारा जॉच गतिमान है, परीक्षण की कार्यवाही चल रही है आदि अंकित किया है। इतने लम्बे समय के अन्तराल के बाद भी चिन्हीकरण कार्य का अन्तिमीकरण न किये जाने को शासन द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। मा. मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिये हैं कि जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक दिन प्रतिदिन के आधार पर अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठकें कर चिन्हीकरण का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 10 अगस्त 2009 तक पूर्ण करें।

मेरे पत्र संख्या 263 / प्र.स.मु.मं. / 2009 दिनांक 30 मई 2009 द्वारा प्रारूप निर्धारित किया गया था उसमें निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जा रहा है जो चिन्हीकरण की स्थिति दिखाने की दृष्टि से अधिक उपयोगी होगा। कृपया संशोधित प्रारूप में ही सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

प्रारूप

| क्र. सं. | जनपद का नाम | निर्धारित अवधि तक, वर्ष 1979 के आधार पर चिन्हीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या | आन्दोलनकारियों की संख्या जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा चिन्हीत कर सूचीबद्ध किया जा चुका है | आन्दोलनकारियों की संख्या जिन्हें अभी तक चिन्हीत व सूचीबद्ध नहीं किया गया है। | प्रार्थना पत्रों की संख्या जिन्हें निर्धारित पात्रता पूर्ण न करने पर सूचीबद्ध नहीं किया गया | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव गृह

प्रतिलिपि :

1. मंडलायुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल तथा पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊँ / गढ़वाल परिक्षेत्र को इस आशय के साथ कि वह जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर चिन्हीकरण के कार्य को अंतिम रूप से दिनांक 10 अगस्त 2009 तक पूर्ण कराने हेतु उन्हें अपना सहयोग एवं मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।
2. प्रतिलिपि अपर सचिव गृह, उत्तराखण्ड शासन

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव गृह

संख्या: /XX–4 / 26 / उ0आ0 / 06 / 09

प्रेषक

सुभाष कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–मण्डलायुक्त कुमॉयू/गढ़वाल
उत्तराखण्ड।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक 2 फरवरी, 2009

विषय: उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु आधार वर्ष का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु आधार वर्ष 1979 माना जायेगा। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये जाते हैं -

(क) एल0आई0यू0 की रिपोर्ट,
(ख) पुलिस के अन्य अभिलेख यथा डेली डायरी के प्रासंगिक अंश,
(ग) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.),
(घ) चिकित्सालय सम्बन्धी रिपोर्ट।

उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में मुझे यह भी स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त से सम्बन्धित समस्त अभिलेख उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन से ही सम्बन्धित होने चाहिए।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रमाणित प्रतिलिपि

FAX

18

कार्यालय जि... 
संख्या 5665 दिनांक 20-03-09

प्रेषक,

आयुक्त,
कुमाऊँ मण्डल,
नैनीताल ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/
ऊधमसिंहनगर/बागेश्वर/चम्पावत ।

पत्रांक [illegible] /[illegible] 10/[illegible] [illegible], दिनांक [illegible] मार्च,[illegible]

विषय: उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु आधार वर्ष का निर्धारण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक गृह अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून के पत्र संख्या 178–1/XX-1/26/उ0आ0/06/09,दिनांक 28 फरवरी, 2009 जो आपको भी सम्बोधित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । उक्त शासकीय पत्र के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु आधार वर्ष,1979 माना जायेगा ।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए,कृत कार्यवाही से शासन एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(एस. राजू),
आयुक्त ।

संख्या– 157 / XX(4)–26 / उ0आ0–06टीसी / 2009

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 4759 दिनांक 21/2/09

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड,।

**गृह अनुभाग–4** देहरादूनः दिनांकः 20 फरवरी,2009

विषय– **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पहचान पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–777 / XX(4) / 26 / उ0आ0 / 2006–08 दिनांक–22.10.2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के क्रम में पहचान पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि संलग्न प्रारूप के अनुसार राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर पहचान पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

5-JAN-2006 13:03 FROM:GREENFIELDSOLUTIONS 2743092 TO:9555962230435 P.2

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी परिचय पत्र

कार्यालय जिलाधिकारी.....

फोटो

परिचय पत्र संख्या.....

नाम .....

पिता का नाम.....

पता .....

धारक के हस्ताक्षर / अगूठा निशान

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

संख्या– 157 / XX(4)–26 / [illegible]आ0–08टीसी / 2009

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 4759 दिनांक 21/2/09

08/SA 16

2/2/09

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड, ।

गृह अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 20 फरवरी, 2009

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को पहचान पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

[illegible] संख्या–777 / XX(4) / 26 / उ0आ0 / 2008 [illegible] दिनांक–22 [illegible] कृपया संदर्भ [illegible] करें। उक्त के क्रम में पहचान पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर पहचान पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

संख्या–336/XX(4)-26/उ0 आ0/2006–08

प्रेषक,

भास्करानन्द,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–मण्डलायुक्त, कुमाँयू/गढ़वाल
उत्तराखण्ड
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक: 21 नवम्बर 2008

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर पहचान पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में शासनादेश संख्या–777/XX(4)/उ0 आ0/2006–08 दिनांक–22 अक्टूबर, 2003 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर पहचान पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश में राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु वर्णित पाँचों अभिलेखों में से किसी भी अभिलेख के आधार पर, किसी व्यक्ति के राज्य आन्दोलनकारी के रूप में, राज्य आन्दोलनकारी होने के पर्याप्त एवं पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हों तो उनका नाम एवं सम्पूर्ण विवरण सहित तत्काल उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलनकारी सम्मान परिषद, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
अपर सचिव

karagar

31 OCT 2008

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 920 दिनांक 01/11/2008

संख्या–776/XX(4)26/उ0 आ0/2006–08

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।

3– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

4– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

02/J.A
DC
30/X/08

गृह अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 22 अक्टूबर 2008

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004 दिनांक– 11.8.2004 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा राज्य आन्दोलन के दौरान सात दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 5 प्रतिशत अधिमान दिये जाने तथा अगले 05 वर्षो (अर्थात चयन वर्ष 2004–05 से 2008–09) के लिये उनको 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी थी।

2– अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त व्यवस्था अग्रिम दो वर्षो अर्थात् 10 अगस्त, 2011 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया हैं । उक्त शासनादेश इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश में वर्णित अन्य निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

कार्यालय जिला अधिकारी अल्मोड़ा
सं0 920/ उन्नीस - जे0ए0/2008-09 31/10/08
प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

कार्यालय ... संख्या 919 ... दिनांक 01-11-2008

संख्या-337/XX(4)26/उ0 आ0/2006-08

प्रेषक,

एन0 एस0 नपलच्याल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— मण्डलायुक्त, कुमाँयू/गढवाल,
उत्तराखण्ड।

2— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः 22 अक्टूबर 2008

गृह अनुभाग-4

विषय— उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर पहचान पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को चिन्हित कर पहचान पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण निम्नलिखित अभिलेखों के आधार पर की जायः—

(क) एल0आई0यू0 की रिपोर्ट।
(ख) पुलिस के अन्य अभिलेख यथा डेली डायरी के प्रासंगिक अंश,
(ग) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) जिस रूप में भी दर्ज हो,
(घ) चिकित्सालय सम्बंधी रिपोर्ट,
(च) ऐसे अन्य अभिलेखों पर आधारित सूचनाऐं जिनकी प्रमाणिकता जिलाधिकारियों द्वारा पुष्टि की जाए।

2— उपरोक्त सूचनाओं के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण हेतु उक्त समस्त शासकीय अभिलेखों की समुचित पुष्टि करने के उपरान्त ही समस्त जिलाधिकारियों एवं उनके द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार चिन्हित आन्दोलनकारियों को पहचान पत्र निर्गत किये जाय, इन पहचान पत्रों के आधार पर वे राजकीय कार्यालयों में प्रवेश तथा अधिकारियों से मिलने हेतु अर्ह होंगे।

3— चिन्हित आन्दोलनकारियों को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले समारोहों में आमंत्रित किया जाय।

4— जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद के राज्य आन्दोलनकारियों से संबंधित सूचनाऐं राज्य आन्दोलनकारी सम्मान परिषद को उपलब्ध करायी जाय।

5— राज्य आन्दोलन के इतिहास को संकलित, संरक्षित एवं स्मारक स्थलों की भलि भांति रख-रखाव हेतु संस्कृति विभाग को अधिकृत किया जाता हैं।

6— अतः अनुरोध हैं कि कृपया उपर्युक्त निर्णयानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन.एस. नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–2963 / XX(4)–3(26) / 2006

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2 समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3 मण्डलायुक्त,
कुमाऊँ / गढ़वाल उत्तराखण्ड।
4 समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 13 दिसम्बर 2011

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों के एक आश्रित को आरक्षण सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या–1270 / 30–2 / 2004, दिनांकः 11–08–2004 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों हेतु 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी थी। तत्पश्चात पत्र संख्या–4020 / XX(4)–7 / उ0आन्दो0 / 2006, दिनांकः 08–11–2006 के द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के आन्दोलनकारियों के परिवार के एक व्यक्ति, जो आन्दोलनकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो, को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की गयी थीः–

1– वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हैं और सेवायोजन के इच्छुक नहीं है।।

2– ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम हैं।

3– उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के पारिवार के एक सदस्य को उस पद की जिसके लिये आवेदन कर रहा हैं, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

2– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय सेवाओं में राज्य आन्दोलनकारियों हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में यदि वह स्वयं इच्छुक नहीं हों तो परिवार के एक आश्रित सदस्य को आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा। परिवार की श्रेणी में निम्नलिखित आयेगें:–

1– पत्नी / पति।
2– आश्रित पुत्र ।
3– अविवाहित अथवा विधवा पुत्रियां।

संख्या–4090/XX(4)-7/उ0आन्दो0/2006

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 16 नवम्बर, 2006

विषयः– उत्तरांखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11.8.2004 एवं शासनादेश संख्या–1058/xxxii/2006, दिनांक 07 अप्रैल, 2006 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पृथक राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल गये आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक, नियुक्ति हेतु चयन में 5% का अधिमान दिये जाने तथा अगले 5 वर्षो के लिये उनको 10% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान की गयी है।

2– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–4020/XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के द्वारा राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन या उससे अधिक जेल गये अथवा घायल हुये चिन्हित आन्दोलनकारी, जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन हेतु अनिच्छुक/शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम हैं, के केवल एक आश्रित को 10% का क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया गया है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 11.8.2004 एवं दिनांक 07.04.2006 में निहित व्यवस्था के अनुसार अर्ह/चिन्हित आन्दोलनकारियों को संलग्न प्रारूप संख्या–1 तथा शासनादेश दिनांक 08.11.2006 से आच्छादित अर्ह/चिन्हित आन्दोलनकारियों के एक आश्रित को संलग्न प्रारूप संख्या–2 के अनुसार, समस्त तथ्यों अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त अपने स्तर से प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या- 4090/xx(4)-7/उ० आन्दो०/2006, दिनांक 16.11.2006 का संलग्नक।



संख्या–  /  दिनांक.

प्रारूप–1

शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11.8.2004 एवं शासनादेश संख्या–1058/xxxii/2006, दिनांक 07 अप्रैल, 2006 से आच्छादित 7 दिन से कम निरूद्ध रहे आन्दोलनकारियों के विषय में पृथक उत्तरांखण्ड राज्य आन्दोलन में प्रतिभाग की पुष्टि स्वरूप प्रदत्त किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूपः–

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री..... पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी..... तहसील..... जिला.....पृथक उत्तरांखण्ड राज्य की मांग को लेकर तत्समय चलाए गये आन्दोलन के दौरान दिनांक..... से दिनांक ..... तक निरूद्ध रहे। इनकी गिरफ्तारी का स्थान.....व निरूद्धि का स्थान..... था। अतः श्री/श्रीमती/कु0..... उपरोक्त, शासनादेश संख्या–1270/तीस–2/2004, दिनांक 11.8.2004 एवं शासनादेश संख्या–1058/xxxii/2006, दिनांक 07 अप्रैल, 2006 की व्यवस्थाओं से आच्छादित होते हैं।

दिनांक

जिला मजिस्ट्रेट,
जिला.....
मोहर...

शासनादेश संख्या-4090/XX(4)-7/उ0 आन्दो0/2006
दिनांक 16.11.2006 का संलग्नक।

(5)

संख्या–  /दिनांक

प्रारूप–2

केवल शासनादेश संख्या–4020/XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु अनिच्छुक/शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम अथवा 50 वर्ष से अधिक आयु के चिन्हित आन्दोलनकारियों के केवल एक आश्रित को प्रदत्त करने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूपः–

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... पुत्र श्री..... निवासी..... शासनादेश संख्या–4020/XX(4)–7/उ0 आन्दो0/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के अनुसार चिन्हित आन्दोलनकारी श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री श्री ..... के आश्रित हैं।

दिनांक.

जिला मजिस्ट्रेट,
जिला...
मोहर....

संख्या- /XX(4)-13/उ0आन्दोलन/2005

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तरांचल।

गृह अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक अगस्त, 2005,

विषय- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-1269/तीस-2/2004, दिनांक [illegible] अगस्त, 2004 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा राज्य आन्दोलन के दौरान सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल गये आन्दोलनकारियों, जिनकी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल होने और सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल जाने की पुष्टि समस्त अभिलेखों से सम्यक रूप से कर ली गयी हो, को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत समूह-"ग" तथा समूह-"घ" के पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में वर्णित "सात दिन या उससे अधिक अवधि", आन्दोलनकारियों को सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के आदेश पारित होने की तिथि/समय से प्रारम्भ होगी।

3- उक्त शासनादेश में वर्णित अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उपर्युक्त निर्णय के अनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या–1669 /XX(4)–19/उ0आन्दोलन/2005 (3)

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
नैनीताल।

गृह अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांकः 06/9/2005

विषय– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1589/20–न्या.सहा./2005, दिनांक 02–06–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1269/तीस–2/2004, दिनांक 11.8.2004 में निहित प्राविधानों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर समूह–"ग" एवं "घ" के पदों पर सेवायोजित किया जा सकता है, जिसके कारण यह शासनादेश आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारियों पर लागू नहीं हो सकता है। पुनः, लागू नहीं हो सकता है।

कृपया तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
2– समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरांचल (जनपद नैनीताल को छोड़कर)।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

(2)

संख्या 1269 / तीस–2 / 2004

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 11 अगस्त, 2004

विषयः— उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल / जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुए / जेल गये आन्दोलनकारियों को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया और सम्यक रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल हुए आन्दोलनकारियों तथा सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल भेजे गये आन्दोलनकारियों, जिनकी उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल होने और सात दिन या उससे अधिक अवधि के लिये जेल जाने की पुष्टि समस्त अभिलेखों से समुचित रूप से कर ली गयी हो, को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सेवा आयोग की परिधि से बाहर के समूह 'ग' के पदों पर तथा समूह 'घ' के पदों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार नियुक्तियाँ प्रदान कर दी जायें। ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जिले में समस्त विभागों में उपलब्ध रिक्त पदों का चिन्हान्कन करने के पश्चात् आन्दोलनकारियों की शैक्षिक योग्यता के

चिन्हान्कन करने के पश्चात् आन्दोलनकारियों की शैक्षिक योग्यता के अनुसा उन्हें सूचीबद्ध करते हुए उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिका को नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु निर्देश भेजे जायेंगे तथा उसकी सूचना शास को उपलब्ध करायी जायेगी। यह कार्यवाही आन्दोलनकारी की घायल अथवा जे जाने की शासकीय अभिलेखों से समुचित पुष्टि करने के पश्चात् की जायेगी।

2— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णय के अनु सेवायोजन किये जाने के उद्देश्य से समस्त से ...नियमावलियों के अन्तर्गत स भर्ती द्वारा नियुक्ति दिये जाने की आयु सीमा एवं चयन की प्रक्रिया को एक बा लिए शिथिलता प्रदान की जाती है।

3— आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्णय के अनुसार तत्काल कार्य करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्या)
प्रमुख सचिव।

संख्या (1)/तीस-2/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1— अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2— समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
3— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरांचल।
4— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
5— निदेशक, सूचना उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपल
प्रमुख सचि